बीस रुपये TWENTY RUPEES INDIA CANCELLED

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग - 2991 - I - 16

(162)

1. दीनदयाल तनय नत्थु गड़रिया
2. राहुल तनय प्रकाश संरक्षक बैजनाथ गड़रिया

निवासी ग्राम गोटेट तह० लिधौरा जिला टीकमगढ़

..आवेदकगण

B.O.R.

।।विरुद्ध।।

म.प्र. शासन

.. अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र०क्र० 14/स्व०निग०/वर्ष 2013-14 में पारित आदेश दि० 02.06.2016 से दुखित होकर

मान्यवर महोदय,

आवेदकगणों की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना हैः:-

1- यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि आवेदकगणों को ग्राम गोटेट तह० लिधौरा जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नंबर. 808/4 रकबा 1.577है० का पट्टा दिये जाने बावत विधिवत रूप से आवेदन पत्र तहसीलदार जतारा के न्यायालय मे प्रस्तुत किया था जिसपर तहसीलदार जतारा द्वारा अपने न्यायालय मे विधिवत रूप से प्र०क्र० 48 /अ-19 वर्ष 91-92 दर्ज किया गया तथा प्रकरण मे विधिवत रूप से इश्तहार जारी किया गया निर्धारित समयावधि मे कोई भी आपत्तियां प्राप्त ना होने पर प्रकरण मे पटवारी से रिपोर्ट ली गई एवं कब्जे के सम्बंध मे साक्ष्य ली गई एवं पात्रता इत्यादि की जांच करते हुए उक्त भूमि का पट्टा दि० 21.07.92 को जारी फार्म "ग" मे किया गया उक्त पट्टे के विरुद्ध कोई भी अपील या निगरानी ना होने के कारण उक्त आदेश अंतिम हो गया था, परंतु एक शिकायती आवेदनपत्र के आधार पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा अपने न्यायालय

69
27/08/16

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2971-एक/2016 जिला-टीकमगढ़

दीन दयाल व अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019 11.1.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 14/स्व.निग./2013-14 में पारित आदेश दिनांक ~~02-06-2009~~ 02-06-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-08-2016 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

11.1.19

(आर.के. जैन)
सदस्य